# उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के परिसरों में तथा दूरस्थ परिसरों (ऑफ कैम्पस) में छात्रों की सुरक्षा संबंधी यूजीसी के दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

# उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के परिसरों में तथा दूरस्थ परिसरों (ऑफ कैम्पस) में छात्रों की सुरक्षा संबंधी यूजीसी के दिशानिर्देश

---

## 1. प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वास है कि उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं शोध के लिए, सुरक्षित, सृदृढ़ एवं अनुकूल वातावरण एक पूर्व निर्धारित एवं अनिवार्य शर्त है। देश पर्यन्त समस्त शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्राथमिक चिन्ता का विषय होना चाहिए कि मानव–निर्मित एवं प्राकृतिक रूप से होने वाले आक्रमणों, धमकियों एवं दुर्घटनाओं से छात्रों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है। इस बात को विचाराधीन रखते हुए आयोग ने ऐसे उपायों को सूत्रबद्ध किया है जिनके अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के परिसर, सुरक्षा, दृढ़ता एवं अध्ययन के एक मरूद्यान के रूप में परिवर्तित हो जाएँ। तदनुसार सभी विश्वविद्यालय अपने अध्यादेश एवं अन्य सांविधिक प्रावधान इस रूप में निर्मित करें अथवा संशोधित एवं सुनिश्चित करें कि दिशानिर्देशों में सम्मिलित निर्देश छात्रों के सर्वोच्च हित में क्रियानिवत हो सकें।

## 2. परिसर में छात्रों की सुरक्षाः

छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिसके प्रति वे सुस्पष्ट तंत्र का अटल सुरक्षा के मानकों को यथा स्थान निर्धारित कर सकतें हैं इसकी मूल–भावना, ऐसी पद्धतियों एवं मानकों की संचालक विधियों के संस्थाकरण में निहित है जो यथेष्ट रूप से छात्रों को, किसी धमकियों एवं शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आक्षेपों/प्रहारों से बचा सकें। चिन्ता संबंधी ऐसे कुछ विषय निम्नवत प्रस्तुत हैं जिन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा छात्रों के सर्वोच्च हित में क्रियान्वित करना चाहिए।

- ऐसी कोई भी भौतिक अवसंरचना जिसमें छात्रों का आवासन किया गया है चाहे वह उच्चत्तर शैक्षिक संस्थान हो अथवा छात्रावास हो, उसे ऐसी ऊँचाई वाली चारदीवारी की सुरक्षा दी जानी चाहिए जिसके ऊपर से कोई भी आसानी से नहीं कूद पाए। इसे और अधिक पुष्ट करने के उद्देश्य से चक्रीय काँटेदार तार की एक बाड़ को दीवार पर चढ़ाया जाए ताकि अप्राधिकृत रूप से इस अवसंरचना पर पहुँच को प्रभावी रूप से रोका जा सके। ऐसे आवासीय एकांशों के प्रवेश द्वारों की संख्या 3 तक अथवा इससे कम हो तथा इन्हें न्यूनतम तीन सुरक्षा गार्डों द्वारा नियंत्रित किया जाए जो पर्याप्त रूप से अस्त्र–शस्त्र से लैस हों, वहाँ पर बन्द परिपथ टी॰वी॰ कैमरे (सीसीटीवी कैमरे) होने चाहिए, पहचान सत्यापन का तंत्र हो ताकि अनजान आंगतुकों/विजिटर की

पहचान चिह्ननों एवं उनके संपर्क विवरण के लिए एक पंजिका होनी चाहिए। ऐसे प्रवेश स्थलों पर न्यूनतम एक महिला सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाना चाहिए ताकि छात्राओं अथवा आंगतुक महिलाओं की सुरक्षा जाँच की जा सके। छात्रों/आंगतुकों के बैग एवं अन्य सामग्री का भी परीक्षण किया जाना चाहिए, जो हाथ द्वारा एवं/अथवा धातु संसूचकों द्वारा किया जाए ताकि परिसर सुरक्षित, शस्त्र मुक्त एवं हिंसा मुक्त बन सके।

- उच्चतर शैक्षिक संस्थानों एवं छात्रावासों में दोनों स्थानों पर, छात्रों की उपस्थिति चिह्नित करने के लिए जीव सांख्यिकी (बायोमैट्रिक) विधि एक प्रभावी तंत्र हो सकती है जिससे कृत्रिम प्रतिनिधित्व (प्रोक्सी) को दूर किया जा सकता है। ऐसे अंकीय तंत्र द्वारा उच्चतर शैक्षिक संस्थान, छात्रों की गतिविधि पर नजर रखने में तथा उसके ठौर–ठिकाने को सफल रूप से जान पाने में, सक्षम बने रहेंगें।

- छात्रों एवं स्टाफ की सुगमता से पहचान योग्य एवं आधिकारिक पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा ऐसे पहचान पत्रों को संस्थागत स्थलों में उनके द्वारा पहनना प्रशासन द्वारा अनिवार्य किया जाना चाहिए।

- उच्चत शैक्षिक संस्थानों द्वारा बहुधा आवा–जाही वाले संगम स्थलों पर जैसे कैन्टीन एवं सूचना पट्ट आदि पर सहायक संख्याएँ (हेल्पलाइन नम्बर) दीपित (फ्लैश) किए जाने चाहिए जो रैगिंग, लैंगिक प्रताड़ना, दुर्घटना, आपदाएँ विरोध हैं, तथा जिन्हें यूजीसी, राज्य सरकार अथवा उच्चतर शैक्षिक द्वारा विकसित किया गया है ताकि यथा आवश्यक छात्र उनका अभिलेख रख सकें तथा उपयोग कर सकें। समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए अधिदेशात्मक हैं कि वे यूजीसी विनियम, 2009 (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए अधिदेशात्मक) का अनुपालन करें।

- परिसर अथवा स्थानीय क्षेत्र में किसी गंभीर आपातकालिक अथवा खतरनाक स्थिति होने पर, जिससे परिसर समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर तत्काल जोखिम न हो, उस समय उच्चत शैक्षिक संस्थान, परिसर समुदाय द्वारा समयोचित, यथार्थ एवं उपयोगी सूचना प्राप्त करने के लिए ऐसी एक आपातकालीन अधिसूचना विधि स्थापित करेंगें जिसके माध्यम से आपातकाल संदेश को ई–मेल, दूरभाष, मोबाइल एवं मूल विषय को संदेश द्वारा ऐसी घटना घटित होने के कुछ मिनटों के भीतर प्रसारित किया जा सके। कैलीफॉर्निया, बर्कले में "WarnMe" नामक एक प्रणाली विकसित की गई है जो कि अनुसरण योग्य प्रतिदर्श है। उस आपातकालीन

सूचना विधि का अनुसरण, निष्क्रमण (इवैक्यूएशन) विधि द्वारा संकटकालीन स्थिति में किया जाएगा ताकि भगदड़ जैसी स्थितियों से बचा जा सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँ जाने चाहिए कि उन विधियों की पर्याप्त रूप से जाँच एवं उनका प्रचार किया गया है ताकि इसका क्रियान्वयन पूरी सक्षमता से हो सके।

- उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के क्षेत्र के भीतर यथोचित रूप से एक विश्वविद्यालय पुलिस थाना स्थापित किए जाने का एक दूरगामी प्रभाव होगा जो छात्रों के मन में एक सुरक्षा भावना को भरेगा तथा उपद्रवियों एवं छोटे–मोटे अपराधियों के लिए भय पैदा करेगा। ऐसे पुलिस स्टेशन के कर्मचारी न केवल ऐसी संकटपूर्ण स्थित का सामना तत्क्षण कर पाएँगें बल्कि रात्रि गश्त एवं इसी प्रकार के सुरक्षा उपायों द्वारा किसी भी अमंगल घटना को घटित होने से रोक सकते हैं। इसके साथ ही यह बात भी समझने वाली है कि कक्षाएँ, अध्ययन, शोध, बैठकें, चलचित्र अथवा मनोरंजन समारोह आदि के कारण छात्रों को परिसर में देर रात तक ठहरना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितयों का सामना करने के लिए पुलिस कर्मचारी छात्रों के लिए उनकी माँग अनुसार थोड़े फासले के लिए मार्गरक्षी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, जिस समय उन छात्रों को छात्रावास तक अथवा नजदीकी टैक्सी स्टैण्ड अथवा बस–स्टॉप आदि तक पहुँचना हो। उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के छात्र समुदायों को सामुदायिक सेवा अधिकारी (सी॰एस॰ओ॰) का एक समूह निर्मित करने के प्रति प्रेरित किया जा सकता है ताकि चक्रीय (रोटेशन) आधार पर ऐसी सेवा प्रदान की जा सके। ऐसे छात्र जो घर–घर जाकर छात्रों को बुलाने अथवा पहुँचाने की सेवा कर रहे हैं उन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थान रात्रि सुरक्षा ''शटल'' सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं।

- समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुनिश्चित करें कि यूजीसी (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में समानता की प्रोन्नति) विनियम, 2012 का अनुपालन; अध्यापन एवं गैर–अध्यापन श्रेणियों द्वारा, छात्रों एवं अन्य निवेशकर्ताओं द्वारा अक्षरशः किया जा रहा है। जाति, धर्म, रंगरूप, लिंग, लैंगिक रूप से अभिमुखी एवं सामाजिक स्तर पर आधारित मौखिक अथवा व्यावहारिक भेदभाव, कड़ाई से प्रतिबंधित हैं तथा उच्चतर शैक्षिक संस्थान अपनी पूरी सामर्थ्य से सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रथाएँ शुरू में ही दबा दी जाएँ।

- छात्रों द्वारा जिन समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उनके प्रभावीपूर्ण प्रबंधन के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान अधिदेशात्क रूप में एक विस्तृत आधार युक्त ''छात्र परामर्श प्रणाली'' को स्थापित करें। यह एक ऐसी अनूठी,

अंतर–क्रियात्मक, लक्ष्य अभिमुखी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें असामान्य छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए जिनमें चिन्ता, तनाव, बदलाव का एवं असफल होने के डर से लेकर, गृह विरह (Home Sickness) तथा उनकी उलझन वाली अकादमिक चिन्ताएँ सम्मिलित हैं। इस प्रणाली द्वारा छात्रों एवं संस्थान के मध्य औपचारिक एवं संप्रेषण के अंतराल को सेतुबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षक परामार्शदाता जिन्हें महाविद्यालय स्तर पर उनके संरक्षक के रूप में सक्रिय बने रहने का प्रशिक्षण मिला है, उन्हें वर्ष पर्यन्त आवंटित किए गए छात्रों (25 छात्रों का दल) से नजदीकी संपर्क बना कर रखना चाहिए, तथा उनकी उपस्थिति तथा परीक्षा परिणामों आदि की प्रतिपुष्टि उनके अभिभावकों से नियमित अंतरालों पर करानी चाहिए। शिक्षक–परामर्शदाता, छात्रावासों के वार्डनों के साथ समन्वय कर सकते हैं तथा छात्रों के व्यक्तिगत विवरण का अकादमिक अभिलेख एवं व्यवहार मूलक स्वरूप का आदान–प्रदान कर सकते हैं ताकि तात्कालिक पूर्वानुमानयुक्त एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

- उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा तिमाही अभिभावक–शिक्षक बैठक (पी॰टी॰एम॰) संयोजित की जानी चाहिए ताकि इस प्रणाली से संबंद्ध शिकायतों एवं अंतरालों पर विचार करके उनका हल निकाला जा सके। इससे पूर्व कि ऐसे मामले प्राधिकारियों के हाथों से निकल जाएँ, ऑन लाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली भी प्रारंभ की जा सकती है ताकि विविादित मामलों पर विचार किया जा सके।

- छात्रों के लिए परिसर में मौजूद चिकित्सीय सुविधाएँ छात्रों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा न्यूनतम एक एम्बुलेन्स, आपातकालीन एवं गंभीर स्थितियों में आवश्यक कार्य हेतु तत्पर रूप से रखी जानी चाहिए।

- उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा एक अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत अग्नि को चिह्नत करने का तंत्र, अग्नि भड़कने से संबंद्ध चेतावनी एवं अग्नि शमन करने के लिए संचालन प्रणालियाँ विकसित की जा सके। इसमें छिड़काव करने की विधियाँ अथवा अन्य अग्नि शमन प्रणालियाँ, अग्नि चिह्नित करने वाले उपकरण, मात्र धुएँ से संबंद्ध अलार्म, अग्नि की मौजूदगी के प्रति सजग करने वाले उपकरण, धुएँ को नियन्त्रित एवं न्यून करने वाले तंत्र तथा अग्नि–अभेद्य दरवाजे तथा दीवारें सम्मिलित हैं जो अग्नि को फैलाने से रोकते हैं अग्नि शामक उपकरणों के प्रभावी उपयोग के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अग्नि संबंधी परिस्थति से जुड़े कृत्रिम अभ्यास, एक सत्र के दौरान न्यूनतम एक बार किए जाने चाहिए।

- किसी भी सत्र में न्यूनतम एक बार, ऐसे मामलों पर जैसे व्यक्तिगत मालअसबाब, वाहनों, व्यक्तिगत सूचना, ए॰टी॰एम॰, विशिष्ट अवसर पर रक्षा संबंधी विभिन्न मार्ग आदि से संबंद्ध विवादित मामलों पर पुलिस एवं सार्वजनिक प्रशासन विभागों द्वारा वार्ता की जानी चाहिए ।

- प्रशिक्षण संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उनमें अनुबंध आधार पर नियुक्त जो महिलाएँ परिसर में अध्ययनरत अथवा कार्यरत हैं उनके लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण की पाठयेत्तर गतिविधियाँ जो उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में की जाती हैं उनके एक अधिदेशात्मक घटक के रूप में संपन्न कराया जाना चाहिए। शारीरिक आत्म रक्षा प्रशिक्षण के साथ ही बलात्कार से जुड़े आक्रमण संबंधी बचाव प्रतिदर्श पर अनुदेशों का अनुसरण हो, जो कि जागरूकता, जोखिम को न्यून करना, जोखिम से बचाव करना तथा आत्म रक्षा–तकनीकों को हाथ में लेने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।

- महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न एवं हिंसा संबंधी बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर यह दायित्व है कि वे एक सम्पूर्ण समर्थन वाला एवं शैक्षिक तंत्र स्थापित करें। उच्चतर शैक्षिक संस्थान छात्र वर्गों के साथ मिलकर उनके समन्वयन में निराकरण कार्यक्रम सुयोजित कर सकते हैं, ताकि:

  - किसी भी विश्वविद्यालय की पृष्टभूमि में परिसर समुदाय को लैंगिक हिंसा के विषय में शिक्षित किया जा सके तथा जिस समय भी वे लोग जोखिम से भी परिस्थितियाँ देखें तो वे उसका सामना करने के लिए कटिबद्ध रहें।
  - दबाब बनाने वाले ऐसे रूढ़िवादी लोग जिनके कारण ऐसी अनादर की भावना आ जाती है जिससे अंतर वैयक्तिक हिंसा होती है, ऐसे लोगों का इस सत्य से सामना कराना।
  - स्वस्थ्य संबंधों एवं स्वस्थ लैंगिक विचारणा के विषय में चर्चा करना तथा संप्रेषण व व्यक्तिगत सीमाओं का आदर करना, इस विषय पर चर्चा करना।

- परिसर पर्यन्त जागरूकता प्रयासों का समन्वयन करना–जैसे टाउन हॉल बैठकें, लेक्चर, तथा लैंगिक हिंसा पर चर्चा इसके लिए खुले मंच पर चर्चा की जानी चाहिए।

➢ खाद्य बिक्री केन्द्रों के बारे में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि गुणवत्ता के मानकों एवं स्वास्थ्यकर तत्वों का कठोरता से अनुपालन किया जा रहा है तथा खाद्य, जल एवं स्वच्छता के विशेषज्ञ डॉक्टर की स्वच्छता परीक्षण रिपोर्ट में प्रमाणित किया गया है कि प्रस्तुत किया गया भोजन खाने के लिए उपयुक्त है। खाद्य विषाक्तिकरण एवं खाद्य एवं जल से संबंद्ध रोगों के फैलने के विरूद्ध यह एक सशक्त एवं प्रभावी रोकथाम है।

➢ विभागों अथवा सहसंबंध महाविद्यालयों में की जा रही भर्ती से संबंद्ध छात्रों के लिए समस्त विश्वविद्यालय एक सुविस्तृत आचरण संहिता तैयार करेंगे तथा अनुपालन हेतु इसे संस्थानों की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। जिस उच्च शैक्षिक संस्थान में छात्र प्रवेश प्राप्त है उनकी विवरणिका में निरंतर ऐसे दस्तावेज का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

## 3. भ्रमण/पर्यटन/आकदमिक सैर पर गए छात्रों की सुरक्षा

➢ उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियान संबंधी गतिविधियाँ न्यूनतम दो प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं सर्वेक्षण में की जानी चाहिए जिनमें एक महिला शिक्षक हो। ऐसे अभियान पर सामूहिक रूप से जाने वाले छात्रों की संख्या का समायोजन कई घटकों के साथ मिलाकर किया जा सकता है जैसे यात्रा की अवधि, मौसम का स्वरूप, मार्ग का स्वरूप तथा प्रबंधात्मकता। यदि किसी स्थिति में छात्रों की संख्या 50 से अधिक है तो पर्याप्त दवाओं सहित एक योग्य डॉक्टर को भी इस पर्यटन समूह में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

➢ संस्थानों द्वारा यात्रा मार्ग विवरण एवं यात्रा योजना पर्याप्त रूप से पहले ही बनाई जानी चाहिए तथा जो छात्र इस यात्रा पर जा रहे हैं उनके अभिभावकों/संरक्षकों के मध्य उसको संचारित किया जाना चाहिए। इस विषय में अभिभावकों द्वारा दिए गए किसी भी आवेदन अथवा सुझावों को भी उस अभियान के सफल एवं सुरक्षित संयोजन के हित में विचाराधीन रखा जा सकता है।

- जो छात्र इस पर्यटन पर जा रहे हैं उनके अभिभावकों/संरक्षकों से उनकी सहमति का पत्र मँगाना, इन संस्थानों के लिए अधिदेशात्मक है। इसके साथ ही, कोई भी भ्रमण/पर्यटन संपन्न नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा बीमा नहीं कराया गया है जो कि छात्रों की क्षतिपूर्ति विभिन्न आपतकालीन स्थितियों एवं जोखिमों में कराने वाला है।

- पर्यटन पर जाने से पूर्व, समस्त छात्रों को "प्रशिक्षण सत्र" के रूप में उपयुक्त रूप से संक्षेप में इन सब बातों के विषय में बताया जाना चाहिए। भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जोखिमों से पूर्ण स्थल, एवं जोखिम पूर्ण क्षेत्र जो प्रस्तावित गंतव्य स्थल में विद्यमान हैं, पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कोड, आपातकालीन प्रणालियाँ एवं मूलभूत प्राथमिक उपचार। शिक्षकों द्वारा इसके साथ ही भागीदरों को सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ, दलगत भावना एवं अनुशासन के महत्व पर स्मरण कराना चाहिए।

- संस्थानों द्वारा सुनिश्चित कराया जाए कि प्रत्येक छात्र इस भ्रमण के लिए एक आंशिक रूप में चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य है।

- यदि कथित भ्रमण में केवल शिविर लगाना ही है तो केवल ऐसे स्थलों का चयन होना चाहिए जो इस उद्देश्य के लिए विभिन्न संबंद्ध सरकारी एजेन्सियों द्वारा नामित किए गए हैं। इसके साथ ही ऐसा स्थल जोखिमों से मुक्त होना चाहिए जैसे बाढ़ आना, खतरनाक ढलान, गिरती हुई शिलाएँ एवं मृत प्राय पेड़ आदि।

- यदि शिविरि निजी जमीन पर लगाए जा रहे हैं तो पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। शिविरों को पर्याप्त रूप से एक–दूसरे से काफी फासले पर लगाया जाए तथा शिविर स्थल के त्वरित गति से आग के फैलाव को रोका जा सके।

- छात्रों द्वारा व्यक्तिगत संप्रेषण वाले उपकरण साथ ले जाने की अनुमति होनी चाहिए तथा उन्हें अनुदेश होना चाहिए कि वे निरंतर अपने अभिभावकों/संरक्षकों के संपर्क में बने रहें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में ऐसा करने से आकस्मिक दुर्घटना से निपटने में व संप्रेषण में सहायता मिलेगी।